भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश–फलक)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 (ए) के अर्न्तगत

आर0पी0 वाद संख्या–10 / 2016–17

केश का प्रकार :– भू वापसी

श्री दिलीप कुमर बेरा, पिता–स्व0 डोमा बेरा .... आवेदक

–बनाम–

श्री अरूप कुमार सीट एवं स्वरूप सीट, पिता–स्व0 नित्यानंद सीट ....विपक्षी

<table>
<tr><th>क्रमांक / तिथि</th><th>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>की गई कार्रवाई</th></tr>
<tr><td></td><td>
यह वाद श्री दिलीप कुमर बेरा, पिता–स्व0 डोमा बेरा, निवासी ग्राम–उईनाला, थाना–बहरागोड़ा, अंचल–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंन्तर्गत भूमि वापसी आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के पत्रांक–25 (I), दिनांक–02 / 02 / 2017 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गयी। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि का विवरणी निम्न प्राकर है:–
<table>
<tr><th>मौजा</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td>उईनाला</td><td>891</td><td>165</td><td>224</td><td>0.02 ए0</td></tr>
</table>
उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक–16 / 03 / 2017 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं।
उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया कि मौजा–उईनाला, थाना नं0–891, खाता नं0–165, प्लॉट नं–224 विवादित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में डोमा बेरा, पिता–स्व0 चन्द्र वेयरा ईत्यादि के नाम पर दर्ज हैं, जो आवेदक के पिता हैं। उक्त भूमि उनके अंशदार के बीच आपस में बांटवार किया हैं। उक्त भूमि का लागन भी आवेदक के द्वारा ही भुगतान किया जाता हैं। आवेदक अनुसूचित जनजाति तथा सबर उपजाति के सदस्य है। उक्त भूमि पर विपक्षी के द्वारा वर्ष–2005 से छल कपट करके दखल कब्जा किये हुए हैं। आवेदक के स्वर्गीय पिता डोमा बेरा द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 CNT Act. के तहत किसी भी तरह से विपक्षी के नाम पर हस्तांतरण नहीं किया हैं। आवेदक के द्वारा दिनांक–23 / 11 / 2017 को लिस्ट ऑफ डॉकुमेंटस से साथ खातियान की छायाप्रति, नक्सा की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, घाटशिला
</td><td></td></tr>
</table>

द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति एवं आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची का पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न किया गया हैं। अतः धारा 71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि पर भू–वापसी (Restore) करने का अनुरोध किया गया हैं।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा में बताया गया कि यह वाद Point of Law or तथ्यात्मक बिन्दुओं को Maintainable नहीं करता हैं। पूर्व में आवेदक के पिता डोमा बेरा द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला के न्यायालय मे विवादित भूमि पर भूमि वापसी वाद संख्या–208/1984–85 में विपक्षी के पितामाह नगेन्द्र नाथ सीट के विरूद्ध वाद दायर किया था। उक्त वाद में संलग्न हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन द्वारां प्रतिवेदित किया है कि उक्त विवादित भूमि पर वर्ष 1971–72 से द्वितीय पक्ष के पितामाह नगेन्द्र नाथ सीट के द्वारा मिट्टी से दिवार उठाकर गोहाल घर के रूप में उपयोग किया जाता था। अनुमण्डल दण्डाधिकरी का, न्यायालय द्वारा भूमि वापसी वाद संख्या–208/1984–85 में पारित आदेश के विरूद्ध अबतक किसी भी उच्चतम न्यायालय में Set aside नहीं किया गया। आवेदक के द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय को अंधेरे में रख कर अनुमण्डल दण्डाधिकरी के न्यायालय में U/S 144 Cr.P.C के तहत विपक्षी के विरूद्ध एक वाद दायर किया गया था, जिसका विविध वाद संख्या–192/2005 हैं। इस वाद को भी न्यायालय द्वारा खारिज किया गया हैं। आवेदक का आदत बन गया है कि कोर्ट को अंधेरे में रख कर विभिन्न प्रकार का वाद दायर किया जाता रहा है। विपक्षी के दादाजी नगेन्द्र नाथ सीट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर वर्ष–1971–72 से बराबर दखल में रहते आ रहें हैं। प्रश्नगत भूमि छप्पर बंदी से संबंधित है। तदनुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा U/S. 71A लागु नहीं होगा। इसलिए आवेदक द्वारा दायर वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाय।

अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया हैं कि मौजा–उईनाला, थाना नं0–891, खाता नं0–165, प्लॉट नं0–224, रकवा–0.02 एकड़ भूमि खतियान एवं पंजी–II में संतोष वेयरा, परितोष वेयरा, पिता–हारू वेयरा एक अंश, अंश समान, दुर्गा वेयरा, पिता–विनु वेयरा एक अंश डोमा वेयरा, पिता–चन्द्र वेयरा एक अंश जाति सबर निवासी निज ग्राम दर्ज हैं। वर्त्तमान उक्त भूमि पर विपक्षी अरूप सीट, स्वरूप सीट, पिता–स्व0 नित्यानंद सीट निवासी, ग्राम–उईनाला द्वारा लगभग 15 (पन्द्रह) वर्षो से दखल में हैं, एक तरफ दिवार ईट का तथा छावनी पुआल का हैं। यह हस्तांतरण वैधिक नहीं हैं। मकान का अनुमनित मूल्य लगभग 50,000.00 (पचास हजार) रुपये हैं। आवेदक अनुसूचित जन–जाति सबर उप जाति के सदस्य हैं। विपक्षी अनुसूचित जन–जाति के सदस्य नहीं हैं।

	दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि आवेदक के पिता स्व0 डोमा बेरा एवं अन्य के नाम से हाल सर्वे सेटलमेंट 1964 के खतियान एवं पंजी–II में दर्ज हैं। प्रतिवादी पक्ष की और से संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता हे कि भूमि वापसी वाद संख्या–208 / 1984–85 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विपक्षी के पिता–स्व0 नगेन्द्र नाथ सीट के द्वारा वर्ष–1975 से विवादित भूमि पर दखल में थे तथा वर्त्तमान विपक्षी भी उक्त भूमि पर दखल–कब्जा में ही हैं। माननीय आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर, राँची का न्यायालय के रिभीजन वाद संख्या–01 / 1995 मे पारित आदेश में दियें गये निदेश के आलोक में इस न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किया गया था। अतः समानन्तर इसी न्यायालय में एक बार पारित आदेश के बाद दोबारा आदेश पारित करना विधि–सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता हैं तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं। यदि पारित आदेश के विरुद्ध किसी को अपात्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। लेखापित एवं संशोधित 15-2-2018 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता घाटशिला। 15-2-2018 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता घाटशिला।	c.c. of last order is issued. 14/03/18 c.c. of last & 1st order is issued. 24/03/18